117/2016
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 117/2016 अनवानी श्री सौरभ आसेरी पुत्र स्व0 श्री सत्यनारायण निवासी 2–बी–27 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

A3

11–02–2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री सौरभ आसेरी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सौरभ आसेरी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.05.2016 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थी:–

> उक्त कार्यालय रिकार्ड से सम्बन्धित चाही गई सूचनाओं की प्रत्येक पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपियां।
> 1. उक्त कार्यालय में कार्यरत आवेदक के स्व. पिता श्री सत्यनारायण आसावत (वरिष्ठ लिपिक) की सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) तथा व्यक्तिगत पंजिका (पर्सनल फाईल) के प्रत्येक पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदान करे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 1096 दिनांक 01.08.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार के तहत चाही गई सूचना सर्विस बुक की प्रमाणित प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। व्यक्तिश पत्रावली हेतु अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि वह उसका निरीक्षण कर बाद में प्रतिलिपि प्राप्त कर लेगा उसके द्वारा केवल सेवाभिलेख की प्रतिलिपि संबंधी शुल्क जमा करवाया गया था जो उन्हे उपलब्ध करवा दी गई है। उनके कार्यालय के पत्र सं0 31 दिनांक 03.06.16 के द्वारा प्रार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व श्रीगंगानगर में कार्यरत आवेदक के स्व. पिता श्री सत्यनारायण आसावत (वरिष्ठ लिपिक) की सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) तथा व्यक्तिगत पंजिका (पर्सनल फाईल) के प्रत्येक पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपियां।	आप द्वारा चाही गई सूचना के 2 रूपये प्रति पृष्ट के हिसाब से 70 पृष्ठो के 140 रूपये का पोस्टल आर्डर/नकद जमा करवाकर कार्यालय दिवस में वांछित सूचना की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते है।

अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.11.2016 में अंकित किया है कि उसने माननीय न्यायालय राज0 सूचना आयोग, जयपुर में अपील कर रखी है। इसलिए इस अपील में कोई हस्तक्षेप न किया जावे। अतः गुण दोष पर निर्णय किया जा रहा है।

अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 13.05.16 अपने स्व0 पिता श्री सत्यनारायण आसावत की सर्विस बुक व व्यक्तिश पत्रावली के प्रत्येक पृष्ठ की प्रतिलिपि चाही है। जो प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 03.06.16 के सन्दर्भ में दिनांक 14.07.16 को सर्विस बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है और लोक सूचना अधिकारी के प्रतिवेदन 01.08.16 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि व्यक्तिगत पत्रावली का बाद में अवलोकन कर फीस जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

117/2016
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर